

आरटीआई अधिनियम, 2005

आवेदन और शुल्क

अपीलीय प्राधिकारी, सीपीआईओ और सीएपीआईओ का ब्यौरा पहले ही दिया जा चुका है।

इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे शुल्क सहित अंग्रेजी अथवा हिन्दी में लिखित रूप में अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना आवेदन दें, शुल्क का ववरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	ववरण	शुल्क की राश
1.	आवेदन शुल्क- धारा 6 (1) के तहत	10/- रुपये
2.	धारा 7(1) के तहत: (क) दस्तावेजों की प्रति 2/- रुपये की दर पर (ए4 अथवा ए3 आकार का पेपर) (ख) बड़े आकार में एक प्रति का वास्तविक प्रभार अथवा लागत मूल्य (ग) नमूनों (सैम्पल) अथवा मॉडल की वास्तविक लागत अथवा मूल्य; (घ) अभिलेखों की जांच करने के लिए पहले घंटे में कोई शुल्क नहीं; और तदुपरांत शुल्क (अथवा उनके समय खंड)	2/- रुपये प्रति कॉपी 5/- रुपये प्रति 15 मिनट
3.	धारा 7(5) के तहत: (क) डस्क अथवा फ्लोपी में प्रदत्त सूचना के लिए (ख) मुद्रित फार्म प्रकाशन अथवा प्रकाशन से उद्धरणों के लिए फोटोकॉपी	50/- प्रति फ्लोपी 2/- रुपये प्रति पेज

भुगतान का तरीका:

- केवल नकदी अथवा ड्रॉड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चेक अथवा इंडियन पोस्टल ऑर्डर, अनुभाग अधिकारी, बैंक वजन को देय।
- निर्धारित शुल्क के बिना और निर्धारित प्रपत्र में आवेदन न होने पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

टिप्पणी: आवेदनों के त्वरित निपटान के लिए, आरबीआई, सरकारी क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थाएं, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां, डीआरटी, डीआरएटी, बाइफर, एएआईएफआर आदि से संबंधित मामलों पर कार्रवाई के लिए सूचना मांगने के लिए व्यक्तियों को सीधे संबंधित प्राधिकारी से सीधे संपर्क करें।

